



सूचना नीति तक पहुंच

सितंबर 2018

सूचना नीति तक पहुँच

सितंबर 2018

© 2018 Asian Development Bank
6 ADB Avenue, Mandaluyong City, 1550 Metro Manila, Philippines
Tel +63 2 632 4444; Fax +63 2 636 2444
www.adb.org

All rights reserved. Published in 2018.

Publication Stock No. TCS189627

By making any designation of or reference to a particular territory or geographic area, or by using the term “country” in this document, ADB does not intend to make any judgments as to the legal or other status of any territory or area.

ADB encourages printing or copying information exclusively for personal, educational, and noncommercial use with proper acknowledgment of ADB. Users are restricted from reselling, redistributing, or creating derivative works for commercial purposes without the express, written consent of ADB. Please contact pubsmarketing@adb.org if you have questions or comments with respect to content, or if you wish to obtain copyright permission.

Corrigenda to ADB publications may be found at <http://www.adb.org/publications/corrigenda>

For more information, please contact
Information Access Unit
Office of the Secretary
disclosure@adb.org
www.adb.org/site/disclosure/main

This is a typeset version of the official policy paper approved by the Asian Development Bank Board of Directors on 28 September 2018.



Printed on recycled paper

| | |
|-----------------|--|
| उपाध्यक्ष | बैम्बैंग सुसनतोनो, ज्ञान प्रबंधन तथा दीर्घकालिक विकास |
| परिचालन समिति | <p>नसीम अहमद, उप महानिदेशक, दीर्घकालिक विकास तथा जलवायु परिवर्तन विभाग (एसडीसीसी)</p> <p>शिरिन हामिद, प्रधान निदेशक, सूचना प्रणाली तथा प्रौद्योगिकी कार्यालय (ओआईएसटी)</p> <p>हुन किम, महानिदेशक, दक्षिण एशिया विभाग (एसएआरडी)</p> <p>तोमोयुकी किमूरा, महानिदेशक, कार्यनीति, नीति तथा समीक्षा विभाग (एसपीडी)</p> <p>क्रिस्टोफर स्टीफन्स, सामान्य परामर्शक, सामान्य परामर्शक कार्यालय (ओजीसी)</p> <p>विकी सी.एल. टैन, प्रधान निदेशक, संचार विभाग (डीओसी)</p> <p>क्रिस्टोफर थीमी, उप महानिदेशक, निजी क्षेत्र प्रचालन विभाग (पीएसओडी)</p> <p>वूचोंग उम, महानिदेशक, एसडीसीसी</p> <p>यूजेन्यू हुकोव, सचिव, सचिव कार्यालय (ओएसईसी)</p> |
| प्रधान निदेशक | विकी सी.एल. टैन, डीओसी |
| निदेशक | ओमाना नायर, मीडिया तथा विदेश संबंध प्रभाग, डीओसी |
| दल नेतृत्वकर्ता | करेन लेन, प्रधान संचार विशेषज्ञ, डीओसी |
| दल सदस्यगण | <p>मार्क क्रो, प्रधान संपादक, ओएसईसी</p> <p>कुरुमी फुकाया, नेतृत्व प्रचालन समन्वय विशेषज्ञ, पीएसओडी</p> <p>लरस्ले लैहम, सलाहकार तथा अध्यक्ष, इंटरएजेंसी संबंध तथा गैर-स्वायत्त प्रचालन इकाई, एसपीडी</p> <p>ल्योइल्या नजरबेकोवा, प्रधान परामर्शक, ओजीसी</p> <p>फ्रांसिस्को टॉनरी, प्रधान समाज विकास विशेषज्ञ, एसएआरडी</p> <p>पैट्रिक वर्मज, सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ, ओआईएसटी</p> <p>निक एंजिलो विलालुज, संचार अधिकारी, डीओसी</p> |

किसी राष्ट्र के कार्यक्रम अथवा कार्यनीति को तैयार करने, किसी परियोजना का वित्त पोषण करने, अथवा इस प्रलेख में किसी विशेष प्रांत या भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में या किसी पदनाम की रचना करते समय एशियाई विकास बैंक किसी प्रांत अथवा क्षेत्र की विधिक अथवा अन्य रिति के बाबत निर्णय देने का इच्छुक नहीं है।

विषय-सूची

| | |
|--|----|
| संक्षिप्तीकरण | v |
| I. पृष्ठभूमि | 1 |
| II. नीति परिचय | 5 |
| III. नीति सिद्धांत तथा अपवाद | 6 |
| क. नीति सिद्धांत | 6 |
| ख. प्रकटीकरण के अपवाद | 8 |
| ग. जनहित की अवहेलना (सकारात्मक अवहेलना) | 12 |
| घ. पहुंच पर प्रतिबंध हेतु एडीबी का विशेषाधिकार (नकारात्मक अवहेलना) | 12 |
| ड. ऐतिहासिक सूचना | 12 |
| III. सूचना अनुरोध तथा अपील | 13 |
| क. सूचना हेतु अनुरोध | 13 |
| ख. सूचना समिति तक पहुंच | 14 |
| ग. अपील | 14 |
| घ. अन्य नीतियों का सूचना तक पहुंच नीति से संबंध | 15 |
| ड. अनुपालन समीक्षा | 16 |
| V. नीति निगरानी तथा संशोधन | 17 |
| VI. नीति की प्रभावी तिथि | 18 |

संक्षिप्तीकरण

| | | |
|--------|---|----------------------|
| एडीबी | - | एशियाई विकास बैंक |
| एआईसी | - | सूचना समिति तक पहुंच |
| एआईपी | - | सूचना नीति तक पहुंच |
| आईएपी | - | स्वतंत्र अपील पैनल |
| पीसीपी | - | सार्वजनिक संचार नीति |
| यूएस | - | संयुक्त राज्य |

I. पृष्ठभूमि

1. एशिया विकास बैंक (एडीबी) की जनसंपर्क नीति 2011 (पीसीपी) निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 25 अक्टूबर 2011 को अनुमोदित की गई तथा 2 अप्रैल 2012 से प्रभावी हुई। यह समीक्षा नीति के अनुसार की गई थी।
2. **समीक्षा प्रक्रिया:** पीसीपी समीक्षा प्रक्रिया पर नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए वर्ष 2016 में संचालन समिति की स्थापना से आरंभ हुई। 2016 में एडीबी ने पीसीपी की डेरेक समीक्षा तथा अन्य बहुपार्श्वक विकास बैंकों का मूल्यांकन किया गया जिसके उपरांत आंतरिक परामर्श की प्रक्रिया पूरी की गई। पीसीपी समीक्षा वेबसाइट विकसित की गई जहां प्रस्तावित नई नीति का प्रथम परामर्श मसौदा और इसके कार्यान्वयन की व्यवस्था जनता की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए नवंबर 2016 में प्रकाशित की गई।¹ एडीबी ने बाह्य हितधारकों के साथ दिसंबर 2016 में तथा जून–जुलाई 2017 में 16 राष्ट्रों तथा एक प्रदेश के साथ परामर्श किया। दूसरा परामर्श मसौदा फरवरी 2018 में वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया।² एडीबी के निदेशक मंडल से अप्रैल 2017 तथा अप्रैल 2018 में अनौपचारिक रूप से परामर्श किया गया। नीति से संबंधित वर्किंग दस्तावेज वेबसाइट पर उपलब्ध करवाए गए और जुलाई 2018 में बोर्ड को प्रस्तुत किए गए।
3. **नीति की समीक्षा:** नीति की समीक्षा से प्रदर्शित हुआ कि पीसीपी के सिद्धांत तथा प्रकटन अन्य बहुपार्श्वक विकास बैंकों तथा अनेक राष्ट्रों के अनुरूप हैं। यह भी देखा गया कि अन्य बहुपार्श्वक विकास बैंक, सिद्धांत आधारित नीतियों के प्रति आकर्षित हो रहे हैं जिन्हें अब सूचना प्रकटन के लिए अच्छी पद्धति माना जा रहा है। इसके अतिरिक्त, पीसीपी के वार्षिक मूल्यांकन से एडीबी की वेबसाइट (www.adb.org) पर प्रकटित दस्तावेजों की संख्या में वृद्धि देखी गई। तथापि, मूल्यांकन से भी विदित हुआ कि दस्तावेजों के प्रकटन में कभी–कभी देरी भी हुई क्योंकि कर्मचारियों को वर्ष 2011 में पीसीपी के लागू किए जाने के समय उत्पादों और दस्तावेजों की किस्म से संबंधित दस्तावेजों के नहीं लिखे जाने के कारण उन्हें प्रकटन की जानकारी नहीं थी।

¹ एडीबी 2016– जन संपर्क नीति की समीक्षा <https://www.adb.org/site/disclosure/pcp-review>

² परामर्शों के क्रम में बांग्लादेश, नेपाल, फिलिपींस, तजाकिस्तान, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओ पीपुल्स डेमोक्रैटिक रिपब्लिक, वियतमनाम, कनाडा, संयुक्त राज्य अमरीका (यूएस), यूरोप (जर्मनी से), आस्ट्रेलिया, तैमूर–लेस्टे, फिजी, भारत, अज़रबैजान तथा जॉर्जिया।

4. समीक्षा से यह भी विदित हुआ कि सूचना हेतु आवेदन तथा याचिका प्रक्रियाएं भलीभांति कार्य कर रही हैं। 2017 में, एडीबी को सूचना हेतु 3,653 औपचारिक अनुरोध प्राप्त हुए जो वर्ष 2012 में प्राप्त³ 230 अनुरोधों की तुलना में तीव्र वृद्धि दर्शाते हैं। एडीबी ने अपेक्षित 5 दिनों में 81 प्रतिशत अनुरोध प्राप्त कर 20 दिन की नियत अवधि में 96 प्रतिशत अनुरोधों का उत्तर दिया है। सूचना हेतु प्राप्त सात अनुरोध अस्वीकार कर दिए गए जिनमें छ: बांड इश्यु के बारे में वित्तीय संवेदनशील सूचना के लिए थे। वर्ष 2017 में एक केस वर्ष 2016 की तरह ही सुनवाई के लिए प्राप्त हुआ था।⁴
5. **प्रस्तावित नीति संशोधन:** पीसीपी प्रकटन के लिए नियम आधारित दृष्टिकोण अपनाती है। इसमें सर्वाधिक संभावित मामलों तथा परिस्थितियों को सम्मिलित करने पर लक्षित विस्तृत दिशानिर्देश दिए जाते हैं जिनमें निर्धारित प्रकटन के अपगाद तथा टाइमलाइन दी गई होती हैं। नियम आधारित नीति सूचना के आदान–प्रदान के लिए ठोस दृष्टिकोण के माध्यम से प्रकटन की व्यवस्था करती है। तथापि, एडीबी का व्यवसाय बदल रहा है क्योंकि बैंक तेजी से बदलते क्षेत्रों की जरूरतों का अनुकूलन करता है। एडीबी की प्रकटन नीति को इस तीव्र विकास के अनुरूप होने की जरूरत है। नियम आधारित दृष्टिकोण, परिवर्तनों को अपनाने के प्रति प्रायः लोचशील नहीं होते हैं। इसके कभी–कभी ऐसे परिणाम निकलते हैं जो लक्षित नीति उद्देश्यों के अनुरूप नहीं होते हैं – प्रकटन तथा सूचना के आदान–प्रदान की पूर्व मान्यता जो सार्थक इनपुट तथा प्रत्युत्तर उपलब्ध कराने के लिए हितधारकों को पर्याप्त समय देती है।
6. चूंकि मुख्य संस्थाओं के अनुरूप, एडीबी दो भागों में प्रकटन नीति संरचना प्रस्तावित करता है: (1) एडीबी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सिद्धांत आधारित नीति जिसे इस दस्तावेज में निश्चित किया गया है और (2) प्रबंधन द्वारा व्यापक कार्यान्वयन व्यवस्था जिसे एडीबी की सामान्य प्रक्रियाओं के अनुरूप एडीबी के प्रचालन मैनुअल में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध कराया गया है।
7. किसी भी प्रभावी सिद्धांत आधारित दृष्टिकोण को स्पष्ट सिद्धांतों तथा एडीबी और इसके हितधारकों के बीच प्रोएक्टिव एवं सहयोगी सम्प्रेषण की आवश्यकता होती है। इसे कर्मचारियों तथा पार्टनर्स के लिए नियमित प्रशिक्षण एवं जागरूकता बढ़ाने के साथ–साथ स्पष्ट याचिका प्रक्रिया की जरूरत होती है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि सिद्धांतों को सही मायनों में सही तरीके से निरंतर लागू किया जाता है। निदेशक मंडल सहित मॉनीटरिंग तथा रिपोर्टिंग यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य होते हैं नीति के सिद्धांतों का पालन कुशलतापूर्वक और निरंतरता से किया जा रहा है। नीति कार्यान्वयन की व्यवस्थाएं, रिपोर्टों एवं अन्य संबंधित सूचना की मॉनीटरिंग एकल एडीबी वेबपेज के माध्यम से उपलब्ध होना जारी रहेगा।⁵

³ एडीबी 2017 जनसंपर्क नीति वार्षिक रिपोर्ट 2017

<https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/424291/pcp-annual-report-2017.pdf>

⁴ <https://www.adb.org/site/disclosure/pcp-implementation/appeals/received>

⁵ <https://www.adb.org/site/disclosure/main>

8. प्रस्तावित नीति “स्पष्ट, समयोचित तथा उपयुक्त प्रकटन” के नवीन सिद्धांत द्वारा संचालित सिद्धांतों पर केंद्रित है। अन्य सिद्धांत पीसीपी से परिवर्तित नहीं हैं और सीमित अपवादों सहित प्रकटन की पूर्व मान्यता के अधीन हैं। आगे बढ़ते हुए, जब तक प्रबंधन मंडल द्वारा नीति सिद्धांतों को बदला नहीं जाता है तब तक ये सिद्धांत यथावत लागू रहेंगे और कार्यान्वयन की व्यवस्थाओं – नए उत्पादों अथवा प्रक्रियाओं को अद्यतन किए जाने की आवश्यकता होगी, उदाहरण के तौर पर एडीबी प्रबंधन का अनुमोदन। इस प्रकार के बदलाव से स्पष्टता तथा प्रकटन की संभावनाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए। दस्तावेजों पर अद्वतन दिशानिर्देश उपलब्ध करवाए जाएं तथा जब दस्तावेजों को नियमित तौर पर प्रकटन किए जाने की आवश्यकता हो तब इनका उद्देश्य एडीबी को टाइमलाइन तथा नीति की प्रभावशीलता सुधारने में मदद के लिए होना चाहिए। स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्ट के प्रकटन के संबंध में, कार्यान्वयन की व्यवस्थाएं पूर्ण रिपोर्टों के प्रकटन की वर्तमान पद्धति प्रदर्शित करती हैं अथवा ऐसी अन्य व्यवस्थाएं जो एडीबी के स्वतंत्र मूल्यांकन विभाग को नियंत्रित करने वाली भावी मंडल द्वारा अनुमोदित नीति हो सकती है।
9. पीसीपी के अन्य प्रस्तावित संशोधनों में पृष्ठभूमि सूचना खंड जो अब पुराना हो चुका है, का हटाया जाना तथा एडीबी की जनसंपर्क खंड शामिल है। एडीबी की जनसंपर्क अवधारणा बैंक की संस्थागत सम्प्रेषण पद्धतियों की व्याख्या करती है। सम्प्रेषण अवधारणाएं शीघ्र बदलाव ला सकती हैं क्योंकि सम्प्रेषण के नए—नए चैनल उभर रहे हैं जिससे लक्षित दर्शकों का उद्विकास होता है। चूंकि ये गतिविधियां प्रकटन से भिन्न होती हैं, इसलिए इनकी व्याख्या अलग दस्तावेज में की जाएगी जिसे एडीबी एक्सेस के माध्यम से सूचना वेबसाइट (फुटनोट 5) पर उपलब्ध कराया जाएगा।
10. पीसीपी में संशोधन को ध्यान में रखते हुए, नीति का नाम बदलकर सूचना नीति की पहुंच (एआईपी) रखा गया है। नया नाम अधिकाधिक सूचना केंद्रित प्रकटन तथा नीति के सूचना प्रावधान उद्देश्यों की ठीक प्रकार से व्याख्या करता है।
11. पहले और दूसरे परामर्श मसौदा तथा वर्किंग दस्तावेज की टिप्पणियों पर आधारित, यह आर-पेपर एडीबी के निदेशक मंडल द्वारा विचारार्थ तैयार किया गया था। यदि इसे अनुमोदन दिया जाता है तब नई नीति 1 जनवरी 2019 से प्रभावी हो जाएगी। कार्यान्वयन संबंधी व्यवस्था एडीबी प्रबंधन द्वारा अनुमोदित की जाएगी और वह नीति के समय से ही लागू हो जाएगी।

⁶ वर्तमान नीति के अंतर्गत, सभी स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्टों का प्रकाशन उनके पूर्ण होने के 14 दिन के अंदर किया जाता है तथा उन्हें प्रबंधन और निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें स्वतंत्र मूल्यांकन विभाग की वार्षिक मूल्यांकन समीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं की जाती है जिसका प्रकटन निदेशक मंडल द्वारा चर्चा के 14 दिन के अंदर किया जाना होता है।

12. **संसाधन:** नई एआईपी का सहज रोल-आउट सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक एवं बाहरी पहुंच, जागरूकता वृद्धि, अनुवाद तथा कर्मचारी प्रशिक्षण के लिए शुरुआती बजट आबंटित किया गया है। सचिव कार्यालय को एआईपी कार्यान्वयन की संपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए दो अतिरिक्त कर्मचारी – एक अंतर्राष्ट्रीय तथा एक राष्ट्रीय को मान्यता देकर इन्हें एआईपी के लिए नियुक्त किया जाएगा। एआईपी कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त संसाधनों की जरूरतों की पुष्टि वार्षिक बजट की तैयारी और आबंटन प्रक्रिया के दौरान की जाएगी।

II. नीति परिचय

13. एआईपी का उददेश्य एडीबी में हितधारकों का विश्वास बढ़ाना तथा एडीबी की गतिविधियों के विकास प्रभाव में वृद्धि करना है। यह नीति एषिया तथा पेशेफिक में एडीबी समर्थित विकास गतिविधियों में हितधारकों द्वारा पारदर्शिता, जवाबदेही तथा प्रतिभागिता के प्रति एडीबी की वचनबद्धता को प्रदर्शित करती है। यह नीति एडीबी के प्रचालनों के बारे में जनता को जानकारी देने, मंगवाने और प्रदान करने को भी मान्यता प्रदान करती है।
14. नीति उन सभी दस्तावेजों और सूचनाओं पर लागू होती है जो एडीबी द्वारा तैयार की जाती हैं और जिन्हें उसके उधारकर्ताओं अथवा ग्राहकों द्वारा तैयार किया जाता है अथवा एडीबी के प्रचालनों के दोरान अन्य पार्टियों द्वारा एडीबी के लिए तैयार अथवा उपलब्ध कराया जाता है। नीति का कार्यान्वयन एडीबी की सामान्य प्रक्रियाओं के अनुरूप एडीबी प्रबंधन द्वारा अनुमोदित व्यापक व्यवस्था सहित किया जाएगा।⁷

⁷ एडीबी नीतियों के कार्यान्वयन की व्यवस्था एडीबी के प्रचालन मैनुअल (समय-समय पर यथा संशोधित) में प्रचालन प्रक्रिया के अंतर्गत उपलब्ध करवाई गई है।

III. नीति सिद्धांत तथा अपवाद

क. नीति सिद्धांत

15. एआईपी निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है :

- (i) **स्पष्ट, समयबद्ध तथा समुचित प्रकटीकरण** : एडीबी स्वयं के साथ हितधारकों की योग्यता को अर्थपूर्ण ढंग से कार्यव्यस्त करने तथा सुशासन को प्रोत्साहित करने के लिए अपने संचालन के बारे में स्पष्ट, समयबद्ध तथा समुचित तरीके से सूचना प्रकट करता है।
- (ii) **प्रकटीकरण के पक्ष में अनुमान** : एडीबी सूचना को तभी प्रकट करता है जब तक कि वह सूचना नीति में विनैर्दिष्ट प्रकटीकरण के अपवादों की सीमा में न हो।
- (iii) **सीमित अपवाद** : सूचना का पूर्ण प्रकटीकरण हमेशा संभव नहीं। उदाहरण के लिए एडीबी को आंतरिक रूप में तथा अपने सदस्यों अथवा ग्राहकों के साथ विचारों का पता लगाने, सूचना बांटने, स्पष्ट विचार-विमर्श करने और खतत्रै रूप में वाद-विवाद करने की आवश्यकता होती है। दूसरे मामलों में एडीबी को अपने गैर-स्वायत्त संचालनों और ग्राहकों⁸ की विशेष जरूरतों पर विचार करने, कार्मिक निजता अधिकार की सुरक्षा करने अथवा स्वयं और अपने ग्राहकों के उचित व्यवसाय हितों का संरक्षण करने की आवश्यकता होती है। नीति अपवादों का एक सीमित संग्रह उपलब्ध कराती है, जो विभिन्न पक्षों के अधिकारों और हितों को संतुलित करता है। हालांकि एडीबी के पास, असामान्य परिस्थितियों के अन्तर्गत, नीति अपवादों (पैरा 18) की अवहेलना करने अथवा इसके द्वारा सामान्यतः प्रकट होनेवाली सूचना (पैरा 19) को प्रकट न करने का अधिकार सुरक्षित है।
- (iv) **सक्रिय प्रकटीकरण** : एडीबी अपने निर्णय लेने में प्रतिभागिता को सरल बनाने के लिए एक समयबद्ध तरीके से अपने संचालनों के बारे में स्वयं के ज्ञान उत्पादों और सूचना का सक्रियतापूर्वक आदान-प्रदान करता है। जबकि एडीबी वेबसाइट सक्रिय प्रकटीकरण हेतु प्राथमिक माध्यम है। एडीबी, सूचना प्रकट करने तथा उसका प्रचार करने के लिए अन्य समुचित माध्यमों का उपयोग भी करता है।

⁸ ग्राहकों के साथ व्यवसाय में कार्यव्यस्त रहने के लिए निजी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों के साथ ही साथ एडीबी के तुलनाकारियों के लिए, ग्राहकों की गोपनीय व्यवसाय सूचना प्रकट नहीं करने हेतु यहां एक विधिक रूप में बाध्यकारी शपथपत्र, एक मानक आवश्यकता है। गोपनीय व्यवसाय सूचना के संरक्षण की आवश्यकता को भी सूचना कानूनों के खतत्रै के अन्तर्गत विस्तृत रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसमें गोपनीय रूप से प्राप्त वाणिज्यिक सूचना जारी करने हेतु एक अपवाद भी सम्मिलित है।

- (v) **सूचना तथा विचारों का आदान–प्रदान करना :** एआईपी में ऐसी प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं, जिनके द्वारा लोग एडीबी संचालनों के बारे में सूचना तथा विचारों को समान रूप में मांग, प्राप्त कर सकते हैं तथा व्यक्त कर सकते हैं। हितधारकों के साथ सूचना एवं विचारों का प्रभावशाली संचार और आदान–प्रदान प्रभावी तथा दीर्घकालिक विकास का एक महत्वपूर्ण सघटक है।
- (vi) **परियोजना–प्रभावित लोगों तथा अन्य हितधारकों को सूचना उपलब्ध कराना :** एडीबी, परियोजना–प्रभावित लोगों तथा अन्य हितधारकों के साथ एडीबी परियोजनाओं के बारे में दो तरफा संचार सुनिश्चित करने के लिए अपने उधारकर्ताओं और ग्राहकों के साथ मिलकर कार्य करता है। यह सुसंगत भाषाओं⁹ का उपयोग करते हुए एक समय–सीमा के भीतर किया जाता है और इस प्रकार से यह परियोजना अभिकल्पना तथा क्रियान्वयन में सार्थक निवेश उपलब्ध कराने के लिए परियोजना–प्रभावित लोगों और अन्य हितधारकों को अनुमति प्रदान करता है।
- (vii) **देश तथा ग्राहक स्वामित्व :** एडीबी उधारकर्तागण तथा ग्राहक उन परियोजनाओं का स्वामित्व ग्रहण करते हैं, जिन्हें एडीबी समर्थन करता है अथवा जिनमें बैंक निवेश करता है। इस प्रकार, कुछ सामलों में, प्रलेखों को प्रकट करने से पूर्व प्रकटीकरण की विषय–सूची तथा समय–सारणी के संबंध में उधारकर्ताओं और ग्राहकों के दृष्टिकोण पर विचार किया जाता है।
- (viii) **स्पष्ट अपील प्रक्रिया :** अनुरोध पर मांगी गई सूचना को प्रकट नहीं करने के एडीबी के निर्णय पर अपील करने की एक स्पष्ट प्रक्रिया, एक विचारपूर्ण प्रकटीकरण रूपरेखा का एक महत्वपूर्ण भाग है।
- (ix) **निरंतर निगरानी :** एडीबी, नीति की प्रभावशीलता की निगरानी करता है, अपनी सफलताओं और कमियों से सबक सीखता है और नवीन प्रौद्योगिकियों एवं अभ्यासों को अपनाने के प्रति संचेत रहता है।

⁹ एडीबी के अनुवाद विशानिर्देश सामग्रियों को आधिकारिक और राष्ट्रीय भाषाओं में अनुवाद करने की अनुमति प्रदान करते हैं। राष्ट्र कार्यालय द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार मामला–दर–मामला आधार पर स्थानीय भाषाओं का उपयोग भी किया जा सकता है।

ख. प्रकटीकरण के अपवाद

16. एडीबी अपने अधिकार के अन्तर्गत आनेवाली उस सूचना को प्रकट करता है, जो कि किसी भी नीति अपवाद के अन्तर्गत नहीं आती। अपवाद एडीबी के इस संकल्प पर आधारित हैं कि निश्चित प्रकार की सूचना के प्रकटीकरण से विशिष्ट पक्षों अथवा हितों को हानि होगी, जो कि प्रकटीकरण के लाभों पर भारी पड़ेगी। एक हानि—लाभ आंकलन, मूल्यांकन की ऐसी प्रक्रिया है जो कि संभवतः लाभों के समक्ष प्रकटीकरण के प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करती है, जो कि संभवतः प्रकटीकरण से निकलती है। एडीबी के प्रकटीकरण सिद्धांत के संदर्भ में (पैरा 15) – विशेष रूप में प्रकटीकरण के पक्ष में किया जानेवाला अनुमान – ऐसा एक आंकलन तथा अप्रकटीकरण हेतु आधार, पैरा 17 में विवरणित सूचना के संवर्गों तक सीमित हैं। यदि किसी प्रलेख अथवा प्रलेख के भाग को इसलिए नहीं प्रकट किया जाता क्योंकि इसमें वह सूचना समाविष्ट है जो कि नीति के एक अथवा अधिक अपवादों के अन्तर्गत आती है, तो एडीबी अप्रकटीकरण के लिए अपवादों का उद्धरण देते हैं।
17. सकारात्मक अवहेलना (पैरा 18) के संबंध में एआईपी के प्रावधान के अधीन, सूचना अथवा प्रलेखों के निम्नलिखित संवर्ग प्रकट नहीं किए जाएँगे:

1. विचारात्मक तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया

ऐसी सूचना जो कि एडीबी की विचारात्मक अथवा निर्णय लेने की प्रक्रिया के बारे में सूचित करती है, वह सामान्यतः प्रकटीकरण से मुक्त है। अपवाद की यह श्रेणी इस आधार पर सुनिश्चित है कि निर्णय लेने के बारे में सूचित करनेवाली विवेचनाएं, वाद-विवाद तथा सलाह आवश्यक रूप में स्वतंत्र और स्पष्ट होने चाहिए। इसमें निम्नलिखित समाविष्ट हैं :

- (i) ऐसी आंतरिक सूचना जिसे, यदि प्रकट किया गया है, तो वह विचारों, मतों और पहुंच मार्गों के स्पष्ट आदान-प्रदान को रोककर एडीबी की विचारात्मक और निर्णय लेने की प्रक्रिया की अखंडता से समझौता करेगी अथवा संभवतः समझौता करेगी, और इस प्रकार वह एडीबी तथा इसके हितधारकों के लिए निर्णयों तथा परिणामों की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। इस तरह के उदाहरणों में बोर्ड सदस्यों, निदेशकों के सलाहकारों, प्रबंधन के सदस्यगणों, एडीबी कर्मचारीगणों तथा एडीबी परामर्शकों के मध्य आदान-प्रदान की गई सलाह तथा विचार सम्मिलित हैं, जो कि अपनी प्रकृति में विचारात्मक हैं। यद्यपि एडीबी अपने निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के परिणामों की विशिष्ट रूप में प्रकट करता है फिर भी यह उन समस्त विचारों, मतों और दृष्टिकोणों को प्रकट नहीं कर सकता, जो ऐसे निर्णयों को लेने का कारण बनते हैं, क्योंकि हितधारकों को ऐसे विचारों, मतों और दृष्टिकोण को स्वतंत्रतापूर्वक प्रस्तुत करने तथा उन पर विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है।

- (ii) निदेशक मण्डल की कार्यवाहियां,¹⁰ बोर्ड दस्तावेजों,¹¹ शब्दशः प्रतिलिपियां,¹² बोर्ड बैठकों के कार्यवृत्त,¹³ और निश्चित बोर्ड बैठकों के प्रमुख सारांश,¹⁴ को छोड़कर, क्योंकि ऐसे प्रलेखों का अप्रकटीकरण बोर्ड सदस्यों के मध्य विचारों, मतों तथा दृष्टिकोण के स्पष्ट आदान–प्रदान को रोकेगा।
- (iii) एडीबी तथा इसके सदस्यों और एडीबी की सहयोगी अन्य संस्थाओं के मध्य आदान–प्रदान की गई, इनके लिए तैयार की गई अथवा विचारात्मक और निर्णय लेने की प्रक्रिया से उत्पन्न हुई सूचना को यदि प्रकट किया जाता है, तो यह सूचना विचारों, मतों और दृष्टिकोण के स्पष्ट आदान–प्रदान को रोककर एडीबी तथा इसके सदस्यों अथवा एडीबी की सहयोगी अन्य संस्थाओं के मध्य विचारात्मक और निर्णय लेने की प्रक्रिया की अखंडता से समझौता करेगी अथवा सम्भवतः समझौता करेगी।

2. गोपनीय ढंग से उपलब्ध कराई गई सूचना

- (iv) किसी सदस्य अथवा अन्य पक्ष द्वारा गोपनीय ढंग से एडीबी को उपलब्ध कराई गई सूचना। एडीबी का यह दायित्व है कि वह ऐसी सूचना का संरक्षण करे और उस सदस्य अथवा अन्य पक्ष की स्पष्ट लिखित अनुमति के बिना सूचना को प्रकट न करे।

- ¹⁰ निदेशक मण्डल की कार्यवाहियां एशियन विकास बैंक के निदेशक मण्डल की प्रक्रिया नियमावली की धारा 9 के अनुसार गोपनीय हैं। नीति के उददेश्य हेतु निदेशक मण्डल की आवधिक कार्यवाहियां निदेशक मण्डल तथा बोर्ड समितियों की बैठकों तथा विचारों हेतु अथवा उनमें सजित किसी प्रलेख अथवा सूचना हेतु संदर्भित होती हैं, तथा ये बोर्ड कागजातों (सूचना, विचार–विमर्श अथवा विचार हेतु निदेशक मण्डल हेतु प्रसारित प्रलेख) और बोर्ड अभिलेखों से समाविष्ट हैं, जैसे कि निदेशक मण्डल की बैठकों अथवा समिति की बैठकों के दौरान तैयार अथवा प्रविष्ट विवरण, एडीबी प्रबन्धन, विभागों अथवा सचिव और बोर्ड, बोर्ड समितियों, तथा/अथवा कार्यपालक निदेशकों के कार्यालयों के मध्य, समस्त प्रारूपों, इलेक्ट्रॉनिक सहित, में शब्दशः प्रतिलिपियां, कार्यवृत्त, तथा/अथवा समिति की बैठकों का मुख्य सारांश, तथा ज्ञापन–पत्र या अन्य संचार।
- ¹¹ जब तक कि नीतिगत छूटों द्वारा प्रतिवंधित न हों, सूचनार्थ निदेशक मण्डल को प्रसारित प्रलेख, प्रसारण पर वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाते हैं। विचारार्थ बोर्ड को प्रसारित प्रलेखों को बोर्ड द्वारा अनुमोदन अथवा समर्पन पर सामान्य रूप में प्रकट किया जाता है।
- ¹² निदेशक मण्डल की औपचारिक बैठकों की शब्दशः प्रतिलिपियां अनुरोध पर तथा प्रतिलिपियों के सुनन की तिथि के उपरान्त उनकी 10 वर्षों की समर्पणात्मक अन्तर्गत प्रकट की जा सकती हैं, बशर्ते कि औपचारिक बोर्ड बैठकों का आयोजन 2 अप्रैल 2012 को अथवा इसके उपरान्त किया गया हो तथा सूचना समिति की पहुंच यह निर्धारित करती है कि ऐसी प्रतिलिपियों में कोई ऐसी सूचना समाविष्ट नहीं है अथवा ऐसी सूचना का संदर्भ नहीं है, जो कि नीतिगत छूटों के अंदर आती है।
- ¹³ प्रत्येक नियमित निदेशक मण्डल बैठक के कार्यवृत्तों को बोर्ड द्वारा कार्यवृत्तों के अनुमोदन उपरान्त प्रकट किया जाता है परन्तु यह प्रकटीकरण मूल बोर्ड बैठक के उपरान्त 60 कैलंडर दिनों तक ही होता है। यह विधान 1 सितंबर 2005 को अथवा इसके उपरान्त आयोजित की गई नियमित बोर्ड बैठकों पर लागू होता है।
- ¹⁴ किसी राष्ट्र की साज्जीदारी कार्यनीति और क्षेत्रीय सहयोग कार्यनीति पर प्रत्येक निदेशक मण्डल के विचार–विमर्श का प्रमुख सारांश तथा किसी औपचारिक बोर्ड बैठक द्वारा अनुमोदित या समर्थित प्रत्येक नीति अथवा कार्यनीति को बोर्ड हेतु उनके अंतिम प्रसारण की तिथि के 14 दिनों के अंदर प्रकट किया जाता है।

(v) किसी पक्ष द्वारा एडीबी को उपलब्ध कराई गई मालिकाना सूचना अथवा कोई सूचना यदि प्रकट होती है, तो यह उस पक्ष के वाणिज्यिक हितों, वित्तीय हितों अथवा प्रतिस्पर्द्धि स्थिति पर वास्तव में प्रतिकूल प्रभाव डालेगा अथवा संभवतः डालेगा जो कि सूचना का स्रोत था अथवा दूसरा पक्ष भी सूचना के प्रकटीकरण द्वारा प्रभावित हो सकता है।

(vi) किसी गोपनीयतापूर्ण अनुबंध अथवा अप्रकटीकरण अनुबंध द्वारा आवृत गोपनीय व्यवसाय सूचना, जिसे एडीबी ने ग्राहकों अथवा अन्य संबंधित पक्षकारों के साथ निष्पादित किया है।

3. व्यक्तिगत सूचना

(vii) कोई व्यक्तिगत सूचना, यदि प्रकट होती है, तो वह संबंधित व्यक्ति के न्यायसंगत व्यक्तिगत हितों के साथ वास्तव में समझौता करेगी अथवा संभवतः समझौता करेगी, संबंधित व्यक्ति द्वारा अथवा एडीबी नियमावली द्वारा अनुमत्य सीमा को छोड़कर। इसके कुछ उदाहरणों में उनकी नियुक्ति तथा चयन प्रक्रिया से संबंधित सूचना, रोजगार के नियम, निष्पादन मूल्यांकन, व्यक्तिगत विकित्सा सूचना, व्यक्तिगत संचार, आंतरिक टकराव समाधान तथा अपील प्रक्रियाओं की कार्यवाहियों से संबंधित सूचना, और जांच-पड़ताल से संबंधित सूचना सम्मिलित हैं।

4. वित्तीय सूचना

(viii) वित्तीय सूचना, यदि प्रकट होती है, तो वह एडीबी तथा इसके संचालनों के न्यायसंगत वित्तीय अथवा वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी अथवा संभवतः डालेगी। इसके कुछ उदाहरणों में एडीबी के भावी ऋणों के प्राक्कलन, वित्तीय पूर्वानुमान, एडीबी के कोषागार संचालनों हेतु व्यक्तिगत निवेश निर्णयों पर आंकड़ा, उधार मूल्यांकन, ऋण पात्रता के विश्लेषण, उधार रेटिंग्स, इसके उधारकर्ताओं तथा अन्य ग्राहकों का जोखिम मूल्यांकन, और पूंजी एवं वित्तीय बाजारों के लिए संवेदनशील कोई सूचना सम्मिलित हैं।

(ix) वित्तीय सूचना, यदि प्रकट होती है, तो वह किसी सदस्य की अपनी अर्थव्यवस्था का प्रबंधन करने की योग्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी अथवा संभवतः डालेगी।

5. सुरक्षा तथा संरक्षा

(x) सूचना, यदि प्रकट होती है, तो वह किसी व्यक्ति के जीवन, स्वास्थ्य, संरक्षा, अथवा सुरक्षा; एडीबी परिसम्पत्तियों की सुरक्षा अथवा संरक्षा को खतरे में डालेगी अथवा संभवतः डालेगी; अथवा किसी सदस्य की सैन्य अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी।

6. विधिक तथा जांच-पड़ताल संबंधी मामले

- (xi) मुख्यार-ग्राहक विशेषाधिकार (एडीबी अधिवक्ता अथवा इसके बाहरी विधिक सलाहकारों हेतु अथवा इनसे प्राप्त संचार सहित) के अधीन कोई सूचना अथवा कोई सूचना, जो प्रकट होती है, तो वह न्यायसंगत मुख्यार-ग्राहक हितों को प्रभावित करेगी अथवा संभवतः प्रभावित करेगी या लागू कानून का उल्लंघन करेगी¹⁵।
- (xii) धोखा, भ्रष्टाचार अथवा एडीबी की भ्रष्टाचार निरोधक नीति¹⁶ के इतर उल्लंघन अथवा दुराचार का अभियोग लगाते हुए एडीबी को उपलब्ध कराई गई सूचना; अथवा कथित धोखा, भ्रष्टाचार, या एडीबी की भ्रष्टाचार निरोधक नीति के इतर उल्लंघन अथवा दुराचार की किसी जांच-पड़ताल से संबंधित सूचना। इस तरह की कोई सूचना, यदि प्रकट होती है, तो वह न्याय के प्रशासन अथवा जांच-पड़ताल पर वास्तव में प्रतिकूल प्रभाव डालेगी या संभवतः डालेगी, किसी मामले में, एडीबी नियमावली के अनुसार तथा उसके द्वारा अनुमत्य सीमा के अंदर, इस स्थिति को छोड़कर। यह अनुच्छेद अभियोग (मुख्यविर) लगानेवाले पक्ष की पहचान हेतु भी लागू होता है, जब तक कि ऐसा मुख्यविर अपनी पहचान के प्रकटीकरण की सहमति प्रदान नहीं करता, अथवा एडीबी नियमावली के अनुसार तथा उसके द्वारा अनुमत्य सीमा को छोड़कर।

7. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा न्यास निधि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन¹⁷

- (xiii) (क) एडीबी के महा लेखापरीक्षक कार्यालय का आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जैसे कि प्रतिवेदनों में आंतरिक प्रणालियों के बारे में संवेदनशील सूचना समाविष्ट हो सकती है, जो कि एडीबी की क्षति करने के लिए तृतीय पक्षों द्वारा उठाई गई हो; तथा (ख) एडीबी-प्रशासित न्यास निधियों पर एडीबी के बाह्य लेखा परीक्षकों के निश्चित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जहां लागू लेखा परीक्षण मानक इन प्रतिवेदनों और संबंधित वित्तीय विवरणों के प्रकटीकरण को सीमित करते हैं।¹⁷

¹⁵ इसमें प्रतिभूति तथा बैंकिंग कानूनों, तथा कॉर्पोरेइट कानून द्वारा अधिरेपित प्रतिबंध भी सम्मिलित हो सकते हैं।

¹⁶ 2010. भ्रष्टाचार निरोधक तथा अखंडता : हमारी ढाँचागत नीतियां तथा कार्यान्वयन।

मनीला। <https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31317/anticorruption-integrity-policy-strategy.pdf>; तथा एडीबी। 1998. भ्रष्टाचार निरोधक नीति।

मनीला। <https://www.adb.org/documents/anticorruption-policy> (समय-समय पर हुए अद्यतनानुसार)

¹⁷ लेखा परीक्षा विवारणों और लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों को एडीबी के वार्षिक प्रतिवेदन, जो कि इस अपवाद द्वारा आवृत्त नहीं है, के भाग के रूप में जनता के सम्मुख प्रकट किया गया।

¹⁸ कुछ न्यास निधि वित्तीय विवरणों को दानदाताओं की लेखांकन आवश्यकताओं (जो कि यूएस में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन मानकों से अलग हो सकते हैं) के अनुसार तैयार किया जाता है, तथा इनका लेखापरीक्षण यूएस में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुसार किया जाता है (जो कि एडीबी पर लागू है)। ऐसे लेखापरीक्षण मानक, यूएस में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन मानकों के अलावा अन्य लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार वित्तीय विवरणों तथा उनसे, जिनका अर्थात् योगदानकर्ताओं और निधि के प्रबंधन तथा अथवा प्रशासन हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों का निधि में एक विनिर्दिष्ट हित है, संबद्ध लेखापरीक्षा मत के प्रकटीकरण को सीमित करते हैं।

ग. जन हित की अवहेलना (सकारात्मक अवहेलना)

18. एडीबी के पास, आपवादिक परिस्थितियों के अधीन, उस सूचना को प्रकट करने का अधिकार है जो कि प्रकटीकरण हेतु अपवादों के अधीन है। ऐसा तब हो सकता है जब बैंक निर्धारित करता है कि सूचना प्रकट करने से उत्पन्न होनेवाला जनहित प्रकटीकरण के कारण होनेवाली क्षति से अधिक हो सकता है। ऐसी सूचना को प्रकट करने अथवा उसे असत्य घोषित करने वाली किसी भी संस्तुति को, बोर्ड अभिलेखों हेतु निदेशक मण्डल तथा अन्य प्रलेखों हेतु अध्यक्ष के अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

घ. पहुंच पर प्रतिबंध हेतु एडीबी का विशेषाधिकार (नकारात्मक अवहेलना)

19. एडीबी के पास, आपवादिक परिस्थितियों के अन्तर्गत, उस सूचना को प्रकट नहीं करने का भी अधिकार है, जिसे यह सामान्यतः तब प्रकट करेगा जब यदि बैंक यह निर्धारित करता है कि ऐसे प्रकटीकरण के कारण ऐसी हानि होगी या संभवतः होगी, जो कि प्रकटीकरण के लाभ पर भारी पड़ेगी। केवल निदेशक मण्डल इस विशेषाधिकार का प्रयोग करता है।

इ. ऐतिहासिक सूचना

20. कोई सूचना जो कि एडीबी द्वारा तैयार, अथवा उसे उपलब्ध कराई गई, ऐसी सूचना की उत्पत्ति की तिथि से 20 वर्षों से अधिक समय हेतु एडीबी द्वारा आयोजित एडीबी संचालनों से संबंधित है, तो उसे ऐतिहासिक सूचना माना जाता है। निदेशक मण्डल की ऐतिहासिक कार्यवाहियां सूचना समिति की पहुंच (एआईसी) द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुरोध पर प्रकटयोग्य हैं, यह समिति निर्धारित करती है कि बोर्ड की ऐसी कार्यवाहियां ऐसी किसी सूचना को समाविष्ट नहीं करती या उससे संबंधित नहीं, जो कि किसी भी नीतिगत अपवाद, पैरा 17.1 (ii) में उल्लिखित प्रावधानों पर विचार करते हुए, के अंदर आती हैं। सभी अन्य ऐतिहासिक सूचनाएं अनुरोध पर प्रकटयोग्य हैं, केवल उस सूचना को छोड़कर जो कि पैरा 17.2 (गोपनीय तरीके से उपलब्ध कराई गई सूचना), 17.3 (व्यक्तिगत सूचना), 17.5 (सुरक्षा तथा संरक्षा सूचना) अथवा 17.6 (विधिक तथा जांच-पड़ताल संबंधी मामले) में सूचीबद्ध अपवादों के अंदर आती है, जो कि प्रकटीकरण से मुक्त रहेगी।

IV. सूचना अनुरोध तथा अपील

क. सूचना हेतु अनुरोध

21. सूचना तथा प्रलेखों हेतु किए जानेवाले समस्त अनुरोध आवश्यक रूप में लिखित में होने चाहिए। अनुरोधों को एडीबी मुख्यालयों, एक रोज़िडेंट मिशन, एक प्रतिनिधि कार्यालय अथवा किसी एडीबी विभाग या कार्यालय हेतु निर्देशित किया जा सकता है। सूचना अनुरोध कहाँ भेजे जान हैं, इसके विवरण एडीबी वेबसाइट पर हैं। अनुरोधों पर उस सूचना के बाबत यथोचित विशेषता इंगित की जानी चाहिए, जो एक यथाचित अवधि के अंदर सूचना का पता लगाने के लिए एडीबी को समर्थ बनाने हेतु देखी जा रही है।
22. अनुरोधों को अंग्रेजी में अथवा एडीबी सदस्यों की किसी भी आधिकारिक अथवा राष्ट्रीय भाषा में लिखकर जमा किया जा सकता है।¹⁹
23. एडीबी से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह गैर-समर्थित अनुरोधों, साधारण अनुरोधों अथवा किसी ऐसे अनुरोध, जिसमें एडीबी से अपेक्षा होगी कि वह ऐसी सूचना या आंकड़ा सृजित, विकसित करे अथवा उसका मिलान करे जो कि पहले से मौजूद नहीं है अथवा इसके अभिलेख प्रबंधन प्रणाली में उपलब्ध नहीं है, का अनुपालन करे या उसका प्रत्युत्तर दे। यह बात समान विषय पर समान व्यक्ति, संगठन अथवा समूह से सूचना हेतु आनेवाले अनुरोधों पर भी तब लागू होती है, यदि एडीबी ने पहले के किसी अनुरोध के बाद ऐसी सूचना उपलब्ध कराई है या कारण बता चुका है कि वह क्यों सूचना उपलब्ध नहीं करा सकता।
24. एडीबी तुरंत किसी अनुरोध की प्राप्ति को स्वीकार करता है तथा अनुरोध पर अपने निर्णय के बारे में बताता है।²⁰ जटिल अनुरोधों²¹ के लिए एडीबी अनुरोध पर प्रत्युत्तर देने के लिए समयसीमा को बढ़ा सकता है, बशर्ते कि अनुरोध करनेवाले को इस बाबत अधिसूचित किया गया हो और वह विस्तार सूचना स्वीकार करता हो।

¹⁹ अनुरोधों पर एडीबी के प्रत्युत्तरों हेतु अंग्रेजी का मानक भाषा के रूप में उपयोग किया जाता है। प्रत्युत्तरों का स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर अनुवाद किया जा सकता है।

²⁰ जहाँ एडीबी पैरा 18 (सकारात्मक अवहेलना) अथवा पैरा 19 (नकारात्मक अवहेलना) के अन्तर्गत अपने विशेषाधिकार का उपयोग करती है, तो एक बार अंतिम निर्णय किए जाने पर एडीबी अनुरोधकर्ता से संवाद करेगी। अनुरोधकर्ता को किसी विस्तार, उचित समझे जाने के अनुसार, के बाबत अधिसूचित किया जाएगा।

²¹ जटिल अनुरोधों में सम्मिलित हैं एकाधिक स्रोतों से सूचना मांगना, प्रलेखों की बड़ी संख्या, एकाधिक वर्षों से सूचना एकत्रित करना, तुलना करना तथा अधूरे आंकड़ों का सह-संबंध स्थापित करना और निष्कर्ष उपलब्ध कराना।

ख. सूचना समिति तक पहुंच

25. सूचना समिति तक पहुंच (एआईसी) एक निरीक्षण निकाय है, जो कि नीति तथा इसकी क्रियान्वयन व्यवस्थाओं की विवेचना, निगरानी तथा समीक्षा हेतु स्थापित है। इसमें अध्यक्ष द्वारा नामित वरिष्ठ एडीबी कर्मी हैं और जो अध्यक्ष को रिपोर्ट करेंगे। एआईसी आवश्यकतानुसार उस सूचना हेतु अनुरोधों की समीक्षा करने का आमन्त्रण देगी, जिसे एडीबी विभागों अथवा कार्यालयों द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है। एआईसी (पैरा 28) से संबंधित अपील पर भी विचार करेगी और निर्णय लेगी। एआईसी के पास प्राधिकार होगा कि वह (i) सूचना तक पहुंच का खंडन करने के एडीबी विभागों और कार्यालयों द्वारा लिए गए निर्णयों को रोक दे अथवा उन्हें पलट दे तथा (ii) किसी नीतिगत अपवाद द्वारा आवृत्त सूचना के जनहित में प्रकटीकरण हेतु अनुरोधों पर विचार करे (पैरा 6)।

ग. अपील

26. एडीबी के पास एक दो-स्तरीय अपील प्रक्रिया है, जिसका अनुरोधकर्तागण तब उपयोग कर सकते हैं, जब उन्हें विश्वास हो कि एडीबी ने इस नीति के उल्लंघन के अन्तर्गत सूचनार्थ उनके अनुरोध को अस्वीकार किया है। अपील कहां भेजनी हैं, इसके लिए विवरण एडीबी वेबसाइट पर हैं। किसी अनुरोधकर्ता हेतु उपलब्ध उपाय जो कि किसी भी अपील पर प्रचलित होता है, वह अनुरोध कर मांगी गई सूचना प्राप्त करने तक सीमित है।
27. दो स्तरीय अपील प्रक्रिया निम्नानुसार है :

1. प्रथम स्तर : सूचना समिति तक पहुंच

28. एक अनुरोधकर्ता जिसे एडीबी द्वारा सूचना तक पहुंचने से रोका जाता है, वह एआईसी के पास एक अपील दर्ज कर सकता है, यह तब होगा यदि अनुरोधकर्ता (i) दिखा सकता है कि सूचनार्थ एक आरंभिक अनुरोध, नीति में निर्धारित अपेक्षित प्रक्रियाओं के अनुसार प्रस्तुत किया गया था तथा (ii) या तो वह इस बाबत एक यथोचित तर्क उपलब्ध कराए कि एडीबी ने अनुरोध पर मांगी गई सूचना तक पहुंच को रोककर नीति का उल्लंघन किया है या वह नीतिगत अपवाद (अपवादों) की अवहेलना करने के लिए पैरा 18 में विवरणितानुसार एक जनहित मामला तैयार करे।

2. द्वितीय स्तर : स्वतंत्र अपील पैनल

29. यदि एआईसी सूचनार्थ भेजे गए किसी अनुरोध को अस्वीकार करने के आरंभिक निर्णय को कायम रखता है और अनुरोधकर्ता फिर भी सोचता है कि एडीबी ने सूचना को रोककर अपनी नीति का उल्लंघन किया है, तो अनुरोधकर्ता स्वतंत्र अपील पैनल (आईएपी) के पास एक अपील दर्ज कर सकता है। आईएपी के पास प्राधिकार है कि वह एआईसी के निर्णय को रोक सकता है अथवा उसे पलट सकता है। आईएपी का निर्णय अंतिम है।

30. आईएपी के पास निम्न मामलों से संबंधित अपीलों पर विचार करने का प्राधिकार नहीं है
 (i) यदि अपील जनहित अवहेलना पर आधारित है तो निदेशक मण्डल अथवा अध्यक्ष द्वारा लिए जानेवाले निर्णय अथवा (ii) सामान्यतः प्रकट हुई सूचना तक पहुंच पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपने विशेषाधिकार का उपयोग करने हेतु निदेशक मण्डल द्वारा लिए जानेवाले निर्णय।
31. आईएपी में सूचना तक पहुंच पर विचारार्थी तीन बाह्य विशेषज्ञ होंगे, जो कि एडीबी से अलग स्वतंत्र होंगे। एडीबी अध्यक्ष निदेशक मण्डल के अनुमोदन के साथ आईएपी सदस्यों की नियुक्ति करते हैं।

3. अपील प्रस्तुत करना तथा निर्णयों की अधिसूचना

32. एआईसी के पास समस्त अपील, अनुरोध पर मांगी गई सूचना तक पहुंच को अस्वीकार करने के एडीबी के आरंभिक निर्णय के उपरान्त, 90 कैलेंडर दिनों के अंदर लिखित में अवश्य दर्ज हो जानी चाहिए। आईएपी के पास समस्त अपील, सूचना तक पहुंच को अस्वीकार करने के एडीबी के आरंभिक निर्णय को रोके जाने के एआईसी के निर्णय के उपरान्त, 90 कैलेंडर दिनों के अंदर लिखित में अवश्य प्रस्तुत हो जानी चाहिए। एक अपील दर्ज करने के लिए 90 दिनों की अवधि के बाद प्राप्त की गई अपील पर विचार नहीं होता। समस्त अपील में निम्नलिखित विवरण होने चाहिए :
- (i) मूल रूप में जिस सूचना हेतु अनुरोध किया गया है उसका एक विवरण, तथा
 - (ii) एक व्याख्यात्मक विवरण जो कि उन तथ्यों और आधारों को निर्धारित करता है, जो अनुरोधकर्ता के इस दावे का समर्थन करते हों कि एडीबी ने नीति का उल्लंघन किया है अथवा इस मामले में जनहित अवहेलना की बात लागू होती है।
33. अनुरोधकर्ताओं को अधिसूचित किया जाता है कि अपील निम्न रिस्ट्रिक्शनों में खारिज हो जाएगी
 (i) अपेक्षित समय के अंदर दर्ज करने में विफल होने के कारण, (ii) ऐसी पर्याप्त सूचना उपलब्ध कराने, जो कि यथोचित ढंग से अपील का समर्थन करती है, में विफल होने पर, अथवा (iii) क्योंकि एआईसी अथवा आईएपी के पास अपील अधीन चल रहे मामले पर विचार करने का प्राधिकार नहीं है।

घ. अन्य नीतियों का सूचना तक पहुंच नीति से संबंध

34. एडीबी की अन्य नीतियों हेतु इस नीति में किसी संदर्भ में वे अन्य नीतियां सम्मिलित हैं जो कि समय-समय पर संशोधित होती रहती हैं।

ड़. अनुपालन समीक्षा

35. एआईपी अपील प्रक्रिया (पैरा 26–33) के अधीन है। एआईपी, एडीबी जवाबदेही तंत्र नीति के अभिप्राय के अंतर्गत एक “परिचालन संबंधी नीति” है। इस प्रकार किसी परियोजना के नियमन, प्रक्रमण अथवा क्रियान्वयन की अवधि में इस नीति का एडीबी द्वारा उल्लंघन किए जाने का अभियोग चला रहे परियोजना-प्रभावित लोगों द्वारा की जानेवाली शिकायतों को एडीबी की उत्तरदायित्व क्रियाविधि नीति के अन्तर्गत भी दर्ज किया जा सकता है।²²

²² जवाबदेही तंत्र, एडीबी–सहायता प्राप्त परियोजनाओं द्वारा हानिकारक ढंग से प्रभावित लोगों हेतु एक मंच उपलब्ध कराती है, ताकि वे समस्याओं के समाधान पर विचार कर सकें तथा उसकी मांग कर सकें और इसके एडीबी की परिचालन–संबंधी नीतियों एवं प्रक्रियाओं के अनुरूप नहीं चलने पर रिपोर्ट कर सकें। एडीबी | जवाबदेही तंत्र | <https://www.adb.org/site/accountability-mechanism/main>.

IV. नीति निगरानी तथा संशोधन

36. एडीबी, नीति के क्रियान्वयन की निगरानी करेगा तथा अपनी वेबसाइट पर वार्षिक प्रतिवेदन प्रदर्शित करेगा। नीति में निदेशक मण्डल के अनुमोदन के साथ समय-समय पर संशोधन किए जा सकते हैं।

V. नीति की प्रभावी तिथि

37. नीति 1 जनवरी 2019 को प्रभावी होगी तथा पीसीपी 2011 का स्थान लेगी।

एशिया विकास बैंक के बारे में

एडीबी गरीबी उन्मूलन हेतु जहां एक ओर अपने प्रयासों को वहनीय बना रहा है वहीं समृद्ध, समावेशित, लचीला एवं वहनीय एशिया बनाने के प्रति वचनबद्ध है। 1996 में स्थापित इस क्षेत्र में इसके 67—और राज्य से 48 सदस्य हैं। अपने विकासशील सदस्य राष्ट्रों की मदद के लिए इसके मुख्य कारक नीतिगत संवाद, ऋण, इकिवटी निवेश, प्रतिभूतियां, अनुदान तथा तकनीकी सहायता हैं।



ASIAN DEVELOPMENT BANK

6 ADB Avenue, Mandaluyong City

1550 Metro Manila. Philippines

www.adb.org